प्रेस विज्ञप्ति–30–08–2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा साप्ताहिक बन्दी एवं मोहर्रम के दृष्टिगत जनपद के नगर एवं देहात क्षेत्र का किया गया भ्रमण–

आज दिनांक 30–08–2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा साप्ताहिक बन्दी एवंमोहर्रम के दृष्टिगत जनपद के नगर व देहात क्षेत्र का भम्रण किया गया। इसके अतिरिक्त थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित कर्बला का जायजा लिया गया। शान्ति व्यवस्था में लगे पुलिस बल को चैक करते हुए संम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली महोदय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा

आज दिनांक 30–08–2020 को श्री अविनाश चन्द्र, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली महोदय द्वारा मोहर्रम के दृष्टिगत जनपद रामपुर के थाना मिलक, शहजादनगर तथा थाना अजीमनगर क्षेत्र में स्थित कर्बला का जायजालिया गया। सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, रामपुर, अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर आदि अधिकारीगण/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना पटवाई :—जिलाबदर अभियुक्त, एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30—08—2020 को अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मिलक, रामपुर के नेतृत्व में थाना पटवाई, रामपुर पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त दिलखुश उर्फ बुचा पुत्र अली शेर निवासी हुसैनगंज थाना पटवाई, रामपुर को यात्री शेड़ मतवाली ढोलसर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त को दिनांक 27—06—2020 को जिलाबदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

दिलखुश उर्फ बुचा पुत्र अली शेर नि0 हुसैनगंज थाना पटवाई, रामपुर।

बरामदगी—

01 अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर।

कार्यवाही—

01—मु0अ0सं0—163/20 धारा 10 गुण्डा एक्ट।
02—मु0अ0सं0—164/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

आपराधिक इतिहास :—

मु0अ0सं0—200/19 धारा 147,354क,323,504 भादवि व 7/8 पोस्को एक्ट व धारा 3(1)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना पटवाई, रामपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः—

01—श्री मनोज कुमार सिंह, थाना प्रभारी पटवाई, रामपुर।
02—उ0नि0 कुलदीप सिंह,
03—हेड कां0 227 ओमबीर सिंह,
04—कां0 120 सुरजीत सिंह

थाना पटवाई :—जिलाबदर अभियुक्त, एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार

——————————————**********************——————————————

हिस्ट्रीशीटर, टॉप–10 बदमाश, पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार–थाना अजीमनगर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी स्वार के नेतृत्व में थाना अजीम नगर रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर नगला गणेश चौराहे की तरफ से आ रही एक स्कॉर्पियो कार को रोकने का इशारा किया परन्तु नही रोकी, पुलिस द्वारा उसका पीछा कर उसको रतनपुर सुमाली तिराहे के पास रोक लिया गया। पुलिस को अपने पास आते देख अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा अपने–आपको बचते–बचाते हुए एक **हिस्ट्रीशीटर, टॉप–10**अभियुक्त अरशद उर्फ सोल्जर को गिरफ्तार कर लिया गया तथा एक अभियुक्त फरार हो गया। स्कॉर्पियो कार से एक रास बछड़ा, वध करने के उपकरण तथा हिस्ट्रीशीटर, टॉप–10 अभियुक्तअरशद उर्फ सोल्जर के कब्जे से एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 05 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस 12 बोर नाल में फसा हुआ एवं एक फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अरशद उर्फ सोल्जर पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम खिजरपुर थाना अजीम नगर, रामपुर। **एच0एस0–131ए**

फरार अभियुक्त का नाम है पता–

दानिश पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम खिजरपुर थाना अजीम नगर जनपद रामपुर।

पूछताछ :–

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब मैं और मेरा भाई प्रतिबन्धित पशुओं को खरीदकर इसी कार में लाते है और उन्हें काटकर मांस को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते है। मैंने अपनी पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा है।

बरामदगी

01– स्कॉर्पियो कार नम्बर डीएल 3सीएएस 3438
02– एक रास बछड़ा,
03–वध करने के उपकरण,
04–एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 05 कार0 एवं 01 खोखा कारतूस 12 बोर,
05–एक फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ।

आपराधिक इतिहास :–

01–मु0अ0सं0–539/10 धारा 379,411 भादवि थाना अजीमनगर, रामपुर,

02–मु0अ0सं0–1333/10 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना अजीमनगर, रामपुर
03–मु0अ0सं0–469/10 धारा 392 भादवि थाना टांडा
04 मु0अ0सं0–526/10 धारा 392 भादवि टांडा
05 मु0अ0सं0–547/10 धारा 392 भादवि टांडा
06 मु0अ0सं0–072/10 धारा 392 भादवि टांडा
07 मु0अ0सं0–1051/12 धारा 147,148,149,307,420 भादवि थाना स्वार,
08 मु0अ0सं0–104/12 धारा 110 जी0 थाना अजीमनगर,
09 मु0अ0सं0–1053/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना स्वार,
10 मु0अ0सं0–934/12 धारा 136 वि0 अधि0 व 427 भादवि थाना स्वार,
11 मु0अ0सं0–292/14 धारा 380,411,382 भादवि थाना अजीमनगर,
13–मु0अ0सं0–122/17 धारा 392 भादवि थाना भोट
14 मु0अ0सं0–216/18 धारा 302 भादवि टांडा
15–मु0अ0सं0–036/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजीमनगर,
16मु0अ0सं0–527/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रु0अधि0 थाना अ0नगर
17मु0अ0सं0–193/18 धारा 147,148,149,323,332,353,224,307,504 भादवि 7 कि0ला0ए0 एक्ट थाना अजीमनगर

कार्यवाही

01–मु0अ0सं0–243/20 धारा 307,420 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम अरशद उर्फ सोल्जर आदि दो नफर।
02–मु0अ0सं0–244/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अरशद उर्फ सोल्जर के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने पुलिस टीम का नाम–

01–श्री सुभाष मावी थाना प्रभारी अजीमनगर, रामपुर। मय टीम

प्रेस नोट जनपद रामपुर दिनांक 30.08.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में की गई कार्यवाही–

01–थाना मिलक :– आत्महत्या के लिए उकसाने में वांछित चल रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुष्पेन्द्र पुत्र वीर सिंह निवासी मौ0 नसीराबाद कस्बा व थाना मिलक, रामपुर आदि 05 अभियुक्तगण (ससुराल पक्ष के), वादी श्री महेन्द्र गंगवार पुत्र भानू प्रकाश निवासी लाबेदी थाना बहेड़ी जनपद बरेली की बहन कनक गंगवार (उम्र 28 वर्ष) से पारिवारिक बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करते थे जिससे छुब्ध होकर वादी की बहन कनक गंगवार द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी थी। इस सम्बन्ध में वादी उपरोक्त की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 18–08–2020 को थाना मिलक पर मु0अ0सं0–300/20 धारा 306 भादवि बनाम पुष्पेन्द्र आदि 05 नफर पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 30–08–2020 को थाना मिलक पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहा अभियुक्त पुष्पेन्द्र उपरोक्त को पटवाई रोड कस्बा मिलक से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी तथा अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

02–थाना गंज :– करीब 200 लीटर ज्वलनशील पदार्थ (डीजल) को बिना किसी अग्नि शमन उपकरण के बीच आबादी में मकान में रखने वाला अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 30–08–2020 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा मौ0 पीला तालाब से एक मकान (बेकरी) से करीब 200 लीटर ज्वलनशील पदार्थ (डीजल) बरामद किया गया। बेकरी मालिक अफ्फान पुत्र तारीक शम्शी निवासी मौ0 पीला तालाब थाना गंज, रामपुर द्वारा बीच आबादी में मकान (बेकरी) में ज्वलनशील पदार्थ रख रखा था तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मौके पर कोई भी अग्नि शमन उपकरण नहीं था। अभियुक्त अफ्फान उपरोक्त को थाना गंज पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना गंज पर मु0अ0सं0–280/20 धारा 336,269,285 भादवि पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03–थाना अजीमनगर :– प्रतिबन्धित पशु के मांस को बेचने हेतु ले जाते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 29–08–2020 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर खिजरपुर की पुलिया से सरफराज पुत्र रईस निवासी

बजावाला थाना अजीमनगर, रामपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सरफराज प्रतिबन्धित पशु के मांस को बेचने के उद्देश्य से मांस से भरी प्लास्टिक की बोरी को कन्धे पर रखकर ले जा रहा था जिसमें करीब 10 किग्रा0 प्रतिबन्धित पशु का मांस था। इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0–242/20 धारा 3/5/8 सी.एस. एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04–थाना सिविल लाइन :– 01 अद्द नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 30–08–2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा अकरम सैफी पुत्र फिदा हुसैन निवासी जौलपुर थाना पटवाई हाल निवासी अजीतपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर को अजीतपुर चौराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0–250/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05–थाना पटवाई :–50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 30–08–2020 को थाना पटवाई पुलिस व आबकारी टीम द्वारा मोहन लाल पुत्र मंगली निवासी ग्राम घनश्यामपुर थाना पटवाई, रामपुर को मढैयान कली से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 50 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना पटवाई पर मु0अ0सं0–165/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06–थाना बिलासपुर :–40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 30–08–2020 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा रामदेव साहनी पुत्र जुगेश्वर साहनी निवासी डिबडिबा कस्बा व थाना बिलासपुर, रामपुर को मलिक कालोनी को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0–295/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।